कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल, अनूपपुर (म0प्र0)

E-mail : dfotanppur@mp.gov.in; Ph. No. (07659) 222038

क्रमांक / मा0 चि0 / 2022 / 212 अनूपपुर, दिनांक 14/01/2022

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग (भ. / स.)
संभाग अनूपपुर (म.प्र.)

संशोधित मांग पत्र

विषय :— अनूपपुर जिले में बोदा से लखौरा मार्ग उन्नयन एवं पुल / पुलियों के निर्माण हेतु 7.350 हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग अनूपपुर को उपयोग पर देने बावत्। FP/MP/ROAD/26648/2017

संदर्भ :— 1— भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक / 6एम.पी.सी. / 046 / 2021—बी.एच.ओ. दिनांक 20.07.2021

2— प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) म0प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ—5 / 1030 / 2021 / 10—11 / 2451 दिनांक 22.07.2021

3— कार्यालयीन पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2021 / 1924 दिनांक 31.08.2021

4— भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक / 5-3/2011-FC (Vol-I) दिनांक 06.01.2022

5— प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) म0प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ—5 / 2022 / 10—11 / 66 दिनांक 07.01.2022

——o0o——

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि अनूपपुर जिले में बोदा से लखौरा मार्ग के उन्नयन एवं पुल / पुलियों के निर्माण हेतु संदर्भित पत्र क्रमांक—1 द्वारा प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृत जारी की गई है। संदर्भित पत्र क्रमांक—3 द्वारा भारत सरकार द्वारा लगाई गयी समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन आवेदन संस्थान से जमा करने हेतु लेख किया गया था। संदर्भित पत्र क्रमांक— 4 एवं 5 से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत ली जाने वाली नेट प्रजेण्ट वैल्यू की राशि के दरों का संशोधन किया गया है। अतः संदर्भित पत्र क्रमांक 5 के परिपालन में नवीन संशोधित मांग पत्र जारी किया जा रहा है।

शर्त क्रमांक A: (1) के अनुसार 7.350 हे. उपलब्ध करायी गई राजस्व भूमि के वनीकरण योजना हेतु राशि 43,36,156 /— कैम्पा मद में ऑनलाईन जमा कर पावती प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

शर्त क्रमांक A: (3) के अनुसार बोदा से लखौरा मार्ग में प्रभावित होने वाली 7.350 हे0 वन भूमि की नेट प्रजेण्ट वैल्यू की राशि 63,31,217 /— कैम्पा मद में ऑनलाईन जमा कर पावती प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

शर्त क्रमांक B: (9) के अनुसार मार्ग में प्रभावित होने वाले 658 नग विभिन्न प्रजाति के वृक्षों के विदोहन हेतु राशि 16,08,400 /— कोषालय के माध्यम से **0406—800 वन राजस्व** मद में जमा कर पावती प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्तानुसार राशि जमा करने के उपरान्त भारत सरकार द्वारा लगाई गयी समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन टेबुलर फार्म में 05 प्रतियों में इस कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

(डॉ. ए.ए. अंसारी)
(भा.व.से.)
वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल अनूपपुर

पृ0क्रमांक / मा0 चि0 / 2022 / 213 अनूपपुर, दिनांक 14/01/2022

प्रतिलिपि :-

1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2- मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

3- कलेक्टर जिला अनूपपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

4- उप वन मण्डलाधिकारी राजेन्द्रग्राम की ओर सूचनार्थ अग्रेषित कर लेख है कि आवेदक संस्थान द्वारा ग्राम सरई में उपलब्ध करायी गई 7.350 हे. राजस्व भूमि को हस्तांतरण की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा पालन प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करावें।

5- वन परिक्षेत्राधिकारी अहिरगवां की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल अनूपपुर

O/c